पैदल चलना मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट का फुटपाथ फैसला

संविधान, मौलिक अधिकार और शहरी शासन | समाचार संदर्भ: 19 जून 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून 2026 को घोषित किया कि चिन्हांकित (demarcated) फुटपाथ पर पैदल चलने का अधिकार मौलिक अधिकार है — अनुच्छेद 21 और 19(1)(d) का अभिन्न अंग। बेंच ने कहा कि इस अधिकार को प्रभावी बनाने वाला कोई कानून अभी मौजूद नहीं, और मामले को अनुच्छेद 32 की याचिका में बदलकर केंद्र के तीन मंत्रालयों को पक्षकार बनाया।

खबरों में क्यों

न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदूरकर की बेंच ने मनिय्यार इलियाज़ उर्फ शेख रियाज़ बनाम पी. अय्यप्पन (CA 4665-4666/2025, 2026 INSC 647) में फैसला सुनाया। मामला मार्मिक है: एक पिता पाँच साल के बेटे को स्कूल छोड़ने ले जा रहा था; पीछे से आए टैंकर ने बच्चे को कुचल दिया — न वहाँ फुटपाथ था, न पैदल क्रॉसिंग। कोर्ट ने साफ किया कि मुद्दा 'सड़क सुरक्षा' नहीं, अधिकार-व्यवस्था का पुनर्गठन है। फैसले के साथ रजिस्ट्री को मामला 'Re: Fundamental Right to Walk and Footpath' नाम से अनुच्छेद 32 याचिका के रूप में पुनः क्रमांकित करने और आवास एवं शहरी मामले, ग्रामीण विकास तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया (19 जून 2026 को)।

मौलिक अधिकार बनाम वैधानिक अधिकार: अंतर क्यों मायने रखता है?

मौलिक अधिकार संविधान के भाग III में हैं — उल्लंघन पर सीधे अनुच्छेद 32/226 से उच्चतम न्यायालयों में प्रवर्तनीय, और विधायिका उनसे विरोधी कानून नहीं बना सकती (अनुच्छेद 13)। वैधानिक अधिकार किसी कानून से आता है और उसी कानून की सीमाओं तक सीमित रहता है। फैसले ने एक और सूक्ष्म बिंदु रेखांकित किया: भाग III केवल विधायिका को रोकता नहीं, उससे अधिकारों को 'प्रभावी' बनाने वाले कानून की अपेक्षा भी करता है — जैसे अनुच्छेद 21A के लिए RTE अधिनियम 2009 और जीवन के अधिकार में भोजन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बने। पैदल चलने के अधिकार के लिए ऐसा कोई कानून आज (फैसले की तारीख तक) नहीं है — मोटर वाहन अधिनियम 1988 'वाहन' केंद्रित है, 'मानव' केंद्रित नहीं; 2017 का संशोधन भी यह रिक्तता नहीं भर पाया।

मुख्य तथ्य

घोषणा: चिन्हांकित फुटपाथ पर पैदल चलने का अधिकार मौलिक अधिकार — अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 19(1)(d) (भारत में स्वतंत्र संचलन) का अभिन्न अंग (फैसला, पैरा 8-10)।

अधिकार की प्रभावशीलता: यह मौलिक अधिकार उन वैधानिक अनुज्ञाओं (permissions) को अभिभूत (override) करेगा जो उससे असंगत हों — यानी फुटपाथ पर अतिक्रमण को मंज़ूरी देने वाली व्यवस्थाएँ अब इस अधिकार के अधीन (पैरा 12-13)।

विधायी रिक्तता: कोर्ट ने दर्ज किया कि अधिकार होते हुए भी उसे प्रभावी बनाने वाला कोई कानून नहीं; इसलिए केंद्रीय मंत्रालयों को पक्षकार बनाकर विधायी प्रक्रिया की राह खोली — यह निर्णय 19 जून 2026 की स्थिति है (पैरा 20-21)।

स्वतंत्र उपचार: इस अधिकार के उल्लंघन पर उपलब्ध संवैधानिक उपचार मोटर वाहन अधिनियम के क्षतिपूर्ति-तंत्र से स्वतंत्र और अतिरिक्त होगा (पैरा 20)।

MV अधिनियम की आलोचना: 1988 का कानून 'वाहन' को विषय बनाकर बना; मानव-पैदलयात्री उसकी मुख्य धारणा में नहीं — 2017 संशोधन ने सड़क सुरक्षा प्रावधान जोड़े, पर पैदल चलने के अधिकार को वैधानिक दर्जा नहीं दिया (पैरा 14-18)।

एक मृत्यु-दावे से मौलिक अधिकार तक — यह छलाँग क्यों?

FIR-क्षतिपूर्ति चक्र से बाहर: बेंच ने लिखा कि ऐसी दुर्घटनाएँ तब तक होती रहेंगी जब तक सड़क-पहुँच के अधिकार-ढाँचे का पुनर्गठन न हो; अभी हर त्रासदी 'FIR और मोटर दुर्घटना दावे' में बदलकर निपट जाती है — रोकथाम की जगह प्रतिक्रिया।

शहरी शासन का अधिकार-आधार: फुटपाथ भारत के शहरों में या तो है नहीं, या अतिक्रमित/टूटा है। अधिकार को मौलिक दर्जा देने से नगर निकायों पर कर्तव्य (correlative duty) बैठता है — चिन्हांकित फुटपाथ उपलब्ध कराना अब सुविधा नहीं, संवैधानिक दायित्व।

विधायिका को न्यायिक न्योता: कोर्ट ने खुद कानून नहीं बनाया — उसने अधिकार घोषित कर विधायी कार्रवाई का मार्ग खोला और निगरानी के लिए मामला जीवित रखा (32-याचिका में पुनः क्रमांकन)। मेंस में इसे न्यायिक सक्रियता की 'घोषणा + निगरानी' तकनीक के उदाहरण के रूप में पढ़ें, कानून-निर्माण के रूप में नहीं।

वाहन-केंद्रित से मानव-केंद्रित नीति: सड़क-नीति में प्राथमिकता का पुनर्क्रम: पैदलयात्री, फिर साइकिल/सार्वजनिक परिवहन, अंत में निजी वाहन — फैसला इस क्रम को संवैधानिक आधार देता है; विश्व में 'complete streets' अवधारणा इसी दिशा की है।

विश्लेषण और आगे की राह

फैसले की डिज़ाइन तीन चरणों की है: अधिकार-घोषणा (तुरंत प्रभावी), वैधानिक अनुज्ञाओं का अधिभूत होना (प्रशासनिक व्यवहार पर असर), और विधायी प्रक्रिया की निगरानी (32-याचिका के रूप में जारी)। आगे देखने योग्य बिंदु — सभी 19 जून 2026 के आदेश के बाद की प्रक्रिया के रूप में: (1) तीनों मंत्रालयों की प्रतिक्रिया और संभावित विधेयक — MV अधिनियम संशोधन या स्वतंत्र पैदलयात्री-अधिकार कानून; (2) नगर निकायों का फुटपाथ-चिन्हांकन — अधिकार 'चिन्हांकित' फुटपाथ तक सीमित है, इसलिए चिन्हांकन ही पहली लड़ाई होगी; (3) अनुच्छेद 21-विस्तार की परंपरा में यह फैसला कहाँ बैठता है — शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण के बाद 'संचलन-अधिकार' का स्पष्ट विस्तार।

अवधारणा में अंतर

'पैदल चलने का अधिकार' और 'सड़क सुरक्षा' एक नहीं — कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला सड़क सुरक्षा के नियमों (हेलमेट, गति, नशे में चालन) से आगे का है: सुरक्षा-नियम व्यवहार संयमित करते हैं, अधिकार-घोषणा इंफ्रास्ट्रक्चर का दायित्व तय करती है। इसी तरह 'फुटपाथ' और 'चिन्हांकित फुटपाथ' में अंतर महत्वपूर्ण है — अधिकार निकाय द्वारा चिन्हांकित (demarcated) पैदल-पथ से जुड़ा है, किसी भी सड़क-किनारे से नहीं; चिन्हांकन की जिम्मेदारी निकाय की है।

मेंस दृष्टि

GS-II: मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की भूमिका, शहरी शासन और निकाय। GS-I: नगरीकरण और शहरी समस्या। उत्तर में अनुच्छेद 19(1)(d) बनाम 21 का भेद, अधिकार-कर्तव्य सहसंबंध (correlative duty), RTE/NFSA की तर्ज पर 'अधिकार-प्रभावी कानून' की अवधारणा, और मोटर वाहन अधिनियम की वाहन-केंद्रितता की आलोचना रखें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

पैदल चलने के अधिकार को मौलिक दर्जा देना शहरी नीति में वाहन-केंद्रित प्राथमिकताओं का पुनर्क्रम है। सर्वोच्च न्यायालय के 2026 के फुटपाथ-फैसले के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: फैसला और उसकी पृष्ठभूमि।

मुख्य भाग में: अधिकार-घोषणा के तत्व (21+19(1)(d), override); वाहन-केंद्रितता की आलोचना (MV अधिनियम); निकायों पर कर्तव्य, चिन्हांकन की लड़ाई; न्यायिक सक्रियता-बहस (घोषणा+निगरानी बनाम कानून-निर्माण)।

निष्कर्ष में: अधिकार-घोषणा को सुरक्षित पैदल बुनियाद के वास्तविक निर्माण और रखरखाव से जोड़ें। फुटपाथ-चिन्हांकन, निकायों की जिम्मेदारी और मंत्रालयों की प्रतिक्रिया से प्रगति परखें; न्यायिक घोषणा को पूर्ण कानून या हर सड़क पर तत्काल तैयार सुविधाओं का प्रमाण न मानें।

स्रोत

- सुप्रीम कोर्ट फैसला: मनिय्यार इलियाज़ बनाम पी. अय्यप्पन (2026 INSC 647) — प्रामाणिक PDF, 19 जून 2026
- The Hindu: फुटपाथ पर चलने का अधिकार मौलिक अधिकार — कानून की माँग, 19 जून 2026
- LiveLaw: चलने का मौलिक अधिकार; फुटपाथ चिन्हांकित करना कर्तव्य, 19 जून 2026

जाँच-टिप्पणी: प्रामाणिक फैसला (sci.gov.in, 13 पृष्ठ, 2026 INSC 647) पूर्ण पढ़ा गया — तथ्य, अधिकार-घोषणा, MV अधिनियम-विश्लेषण और अंतिम निर्देश (32-याचिका में पुनः क्रमांकन, मंत्रालयों को पक्षकार बनाना) सभी मूल पाठ से हैं।

यह भी पढ़ें: घर के बाहर सार्वजनिक सड़क: निजी पार्किंग नहीं, साझा शहरी स्थान | मतदान का अधिकार: संवैधानिक, कानूनी या मौलिक?।

याद रखें: फुटपाथ अब सुविधा नहीं, मौलिक अधिकार है — और इससे असंगत अनुज्ञाएँ अधिभूत होंगी। असली लड़ाई चिन्हांकन और कार्यान्वयन की है; फैसले ने विधायी प्रक्रिया को न्योता दिया और निगरानी के लिए मामला 19 जून 2026 को 32-याचिका में बदलकर जीवित रखा।